प्रेस नोट

थाना टूण्डला पुलिस द्वारा एसिड अटैक की सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुये हिस्टीशीटर श्रीनाथ उर्फ टुण्डा उर्फ दिनेश कुमार को किया गिरफ्तार।

- हिस्टीशीटर अपराधी द्वारा अपने ऊपर दर्ज छेडखानी/पोक्सो एक्ट के मुकदमे में फैसला कराने हेतु रची गयी साजिश
- हिस्टीशीटर अपराधी ने पत्नी व अपने भाई के साथ मिलकर भाई के ऊपर डाला था एसिड।
- हिस्टीशीटर अपराधी पर थाना टूण्डला पर दर्ज हैं 22 मुकदमे।
- हिस्टीशीटर श्रीनाथ उर्फ टुण्डा उर्फ दिनेश कुमार की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तेजाब की बोतल मय तेजाब व घटना के समय पहनी तेजाब से जली हुई शर्ट बरामद।

दिनांक 17.03.2021 को वादिया श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्रीनाथ उर्फ टुण्डा उर्फ दिनेश निवासी राजा का ताल थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद द्वारा मु0अ0सं0 132/2021 धारा 326-ए भादवि बनाम सुखवीर 2. अंकित 3.प्रहलाद 4.विमलेश निवसीगण राजा का ताल थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद के विरूद्ध पंजीकृत कराया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद द्वारा (एसिड अटैक) की घटना को गम्भीरता से लेते हुए घटना का सही खुलासा करने व साक्ष्य के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी टूण्डला के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक टूण्डला के नेतृत्व में विवेचनाधिकारी उ0नि0 तेजवीर सिंह चौकी प्रभारी राजा का ताल द्वारा ठोस साक्ष्य संकलित किये गये। साक्ष्य के आधार पर नामजद अभियुक्त सुखवीर , अंकित, प्रहलाद, विमलेश निवसीगण राजा का ताल थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद की नामजदगी गलत पायी गयी एवं अभियुक्त श्रीनाथ उर्फ टुण्डा उर्फ दिनेश उपरोक्त द्वारा अपने विरूद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 279/2019 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना टूण्डला में वादी सुखवीर पर फैसले का दबाव बनाने की नीयत से अपनी पत्नी अनीता व अपने भाई सुकेश के साथ षडयन्त्र रचकर दिनांक 16.03.2021 को अपने भाई सुकेश के ऊपर तेजाब डालकर घटना को अंजाम दिया। दिनांक 22.03.2021 को अभियुक्त श्रीनाथ उर्फ टुण्डा उर्फ दिनेश उपरोक्त को नबाव चौराहे से पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशा देही पर घटना में प्रयुक्त तेजाब की बोतल व तेजाब से जली पहनी शर्ट स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष बरामद की गयी। अभियुक्त को मु0अ0सं0 132/2021 धारा 182/195/195-ए/34 भादवि में मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त H.S. न0 222-A 1. श्रीनाथ उर्फ टुण्डा उर्फ दिनेश कुमार पुत्र रामवीर निवासी राजा का ताल थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद:-

1. मु0अ0सं0 350/2001 धारा 18/20 NDPS ACT थाना टूण्डला
2. मु0अ0सं0 337/2001 धारा 380 भादवि थाना टूण्डला
3. मु0अ0सं0 18/2002 धारा 110 जी थाना टूण्डला
4. मु0अ0स0 28/2002 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम थाना टूण्डला
5. मु0अ0स0 472/2002 धारा 459 भादवि थाना टूण्डला
6. मु0अ0सं0 316/2003 धारा 394 भादवि थाना टूण्डला
7. मु0अ0सं0 455/2007 धारा 356 भादवि थाना टूण्डला
8. मु0अ0सं0 405/2008 धारा 356/411 भादवि थाना टूण्डला

9. मु0अ0सं0 384/2009 धारा 332/353/302 भादवि थाना टूण्डला
10. मु0अ0सं0 63/2009 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना टूण्डला
11. मु0अ0सं0 190/2010 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना टूण्डला
12. मु0अ0सं0 13/2011 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना टूण्डला
13. मु0अ0सं0 31/2011 धारा 3/10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना टूण्डला
14. मु0अ0सं0 675/2013 धारा 8/15 NDPS ACT थाना टूण्डला
15. मु0अ0सं0 352/2014 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना टूण्डला
16. मु0अ0सं0 687/2014 धारा 394 भादवि थाना टूण्डला
17. मु0अ0सं0 886/2014 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना टूण्डला
18. मु0अ0सं0 638/2016 धारा 3 लोक सम्पत्ति नुकशान निवारण अधिनियम थाना टूण्डला
19. मु0अ0सं0 179/2017 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना टूण्डला
20. मु0अ0सं0 279/2019 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो अधिनियम थाना टूण्डला
21. मु0अ0सं0 466/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना टूण्डला
22. मु0अ0सं0 132/2021 धारा 326-ए भादवि से तरमीम धारा 182/195/195-ए/34 भादवि थाना टूण्डला

बरामदगीः– अभियुक्त श्रीनाथ उर्फ टुण्डा उर्फ दिनेश उपरोक्त की निशा देही पर घटना में प्रयुक्त तेजाब की बोतल मय तेजाब व अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहनी तेजाब से जली शर्ट बरामद हुए है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1 . प्रभारी निरीक्षक टूण्डला श्री केशव दत्त शर्मा
2 . उ0नि0 श्री तेजवीर सिंह
3. हे0का0प्रो0 जितेन्द्र राजौरिया
4.का0 478 सौरभ त्रिपाठी
5.का0 401 लक्ष्मण सिंह

वाँछित शेष अभियुक्तगण का नामः-

1.श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्रीनाथ उर्फ टुण्डा उर्फ दिनेश निवासी उपरोक्त
2.सुकेश पुत्र रामवीर निवासी उपरोक्त